तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **विश्वेश्वर नाडोला बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम, जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 36/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-03-2022	अपीलार्थी विश्वेश्वर नाडोला, पता माली थलियों का बास, होटल सिटी पेलेस के पीछे, नई सडक जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.01.2021 में उसके द्वारा (1) मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ के पत्र दिनांक 11.10.21 की प्रति (संलग्न) पर मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ में दर्ज प्रकरण सं0 सीएमओ–403 की पत्रावली की प्रतिलिपि कार्यालय टिप्पणी सहित, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर, प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 219 दिनांक 07.03..2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में बतलाया कि अपर जिला कलक्टर द्वितीय एवं प्रभारी अधिकारी, मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 122 दिनांक 31.01.22 द्वारा कुल 63 पृष्ठों की सूचना प्राप्त करने हेतु राशि रूपये 126/– इस कार्यालय में जमा कराने हेतु लिखा गया, परन्तु प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा नहीं कराये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का निर्धारित शुल्क 126/– रूपये जमा नहीं कराये जाने के कारण सूचना नहीं दी गई है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, परिणामस्वरूप अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। अपीलार्थी सूचना प्राप्त करने को अगर गंभीर है तो निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:13:47 IST
Reason: SelfAttested